भारत सरकार

खान मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. †4319

दिनांक 18.03.2026 को उत्तर देने के लिए

एनसीएमएम के मुख्य उद्देश्य

†4319. श्री बिप्लब कुमार देबः

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (एनसीएमएम) के प्रमुख उद्देश्यों तथा घटकों का ब्यौरा क्या है;
(ख) महत्वपूर्ण खनिज के प्रसंस्करण में अनुसंधान एवं विकास को आगे बढ़ाने में उत्कृष्टता केंद्रों तथा उद्योग-अकादमिक साझेदारी की भूमिका का ब्यौरा क्या है;
(ग) महत्वपूर्ण खनिज के अन्वेषण तथा परिशोधन में निजी क्षेत्र की भागीदारी और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए की गई पहलों का ब्यौरा क्या है; और
(घ) घरेलू क्षमता को सुदृढ़ करने, आयात निर्भरता को कम करने तथा इस क्षेत्र को राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा और सामरिक लक्ष्यों के अनुरूप बनाने के लिए सरकार द्वारा अपनाए गए उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कोयला और खान राज्य मंत्री
(श्री सतीश चंद्र दूबे)

(क): राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (एनसीएमएम) के उद्देश्य हैं:

i) घरेलू और विदेशी स्रोतों से खनिज उपलब्धता सुनिश्चित करके भारत की महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित करना।

ii) खनिज गवेषण, खनन, सज्जीकरण, प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण में नवाचार, कौशल विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकीय, नियामक और वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ाकर महत्वपूर्ण खनिज मूल्य श्रृंखलाओं को सुदृढ़ बनाना।

एनसीएमएम के घटक हैं:

1. घरेलू महत्वपूर्ण खनिजों का उत्पादन बढ़ाना
2. विदेशों में महत्वपूर्ण खनिज संपत्तियों का अधिग्रहण
3. महत्वपूर्ण खनिजों का पुनर्चक्रण
4. व्यापार और बाजार
5. महत्वपूर्ण खनिजों के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रौद्योगिकीय उन्नति
6. मानव संसाधन विकास
7. प्रभावी निधियन, वित्तपोषण और वित्तीय प्रोत्साहन विकसित करना

(ख): खान मंत्रालय ने महत्वपूर्ण खनिज प्रसंस्करण में अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) करने और घरेलू क्षमताओं को सुदृढ़ बनाने के लिए एनसीएमएम के तहत नौ प्रमुख संस्थानों को उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) के रूप में मान्यता दी है। प्रत्येक उत्कृष्टता केंद्र उद्योग और शैक्षणिक स्पोक्स की मुख्य क्षमता का लाभ उठाने के लिए हब एंड स्पोक मॉडल पर एक संघ के रूप में काम करता है। सीओई महत्वपूर्ण खनिज प्रसंस्करण में अनुसंधान और विकास को आगे बढ़ाने में निम्नलिखित द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है:

- महत्वपूर्ण कच्चे माल में प्रौद्योगिकी तत्परता स्तर (टीआरएल) को 7/8 तक बढ़ाने के लिए केंद्रित अनुसंधान कार्य करना;
- प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक फीडस्टॉक की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए सज्जीकरण, पृथक्करण, निष्कर्षण और पुनर्चक्रण प्रौद्योगिकियों का विकास करना;
- नवीनतम प्रक्रिया उपकरण की डिजाइनिंग और विनिर्माण, खनिज प्रसंस्करण के लिए आवश्यक विशिष्ट रसायन और अपचायकों (रिडक्टेंट्स) को तैयार करना; और
- सज्जीकरण और निष्कर्षण प्रक्रियाओं के इष्टतम उपयोग के लिए डेटा विश्लेषण लागू करना।

(ग): खान मंत्रालय ने निजी क्षेत्र की भागीदारी और निवेश को बढ़ावा देने के लिए निम्नानुसार कई पहलें की हैं:

1. गहराई में स्थित और महत्वपूर्ण खनिजों के लिए गवेषण अनुज्ञप्ति (ईएल) व्यवस्था शुरू की गई है, जिसके तहत, नीलामी प्रीमियम का एक हिस्सा ईएल धारक, जिसने इसका गवेषण किया था, को देय होगा।
2. राष्ट्रीय खनिज खोज एवं विकास न्यास (एनएमईडीटी) से वित्त पोषण के साथ गवेषण परियोजनाओं को शुरू करने के लिए 43 निजी गवेषण एजेंसियों को अधिसूचित किया गया है।
3. मंत्रालय विभिन्न संस्थानों/प्रयोगशालाओं/स्टार्ट-अप/एमएसएमई आदि को अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) परियोजनाओं के लिए निधियां प्रदान करता है।
4. खनिज गवेषण में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने और वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए, समेकित अनुज्ञप्ति धारकों (सीएल) (50% तक प्रतिपूर्ति, 8 करोड़

रुपये की सीमा के अधीन) और गवेषण अनुज्ञप्ति धारकों (ईएल) (व्यय का 50% तक, अधिकतम सीमा ₹20 करोड़ के साथ) के लिए गवेषण व्यय की आंशिक प्रतिपूर्ति की स्कीम शुरू की गई है।

(घ): महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए, मंत्रालय ने कई उपाय किए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल हैं:

- भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) ने महत्वपूर्ण और सामरिक खनिजों की खोज की गति को तेज कर दिया है। जीएसआई ने, वर्ष 2024-25 में 195 महत्वपूर्ण खनिज गवेषण परियोजनाएं और 2025-26 में देश भर में 230 परियोजनाएं पूरी कीं। इसके अतिरिक्त, एनएमईडीटी ने वर्ष 2024-25 के दौरान महत्वपूर्ण खनिजों की खोज के लिए 62 परियोजनाओं और वर्ष 2025-26 के दौरान 65 परियोजनाओं को मंजूरी दी है।
- खान और खनिज विकास अधिनियम (एमएमडीआर), 1957 को विदेशों में महत्वपूर्ण खनिज गवेषण और खनन में सहायता प्रदान करने के लिए एनएमईडीटी के दायरे का विस्तार करने के लिए संशोधित किया गया।
- खान मंत्रालय ने 46 महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों की सफलतापूर्वक नीलामी की है। इसके अलावा, केंद्र सरकार ने गवेषण अनुज्ञप्ति वाले 7 ब्लॉकों की सफलतापूर्वक नीलामी भी की है, जिनमें महत्वपूर्ण खनिजों के तीन ब्लॉक शामिल हैं।
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने द्वितीयक स्रोतों से महत्वपूर्ण खनिजों के पृथक्करण और उत्पादन के लिए पुनर्चक्रण क्षमता विकसित करने के लिए 1,500 करोड़ रुपये की वित्तीय प्रोत्साहन योजना को अनुमोदित किया। स्कीम के दिशानिर्देश मंत्रालय द्वारा दिनांक 02.10.2025 को जारी किए गए थे और स्कीम शुरू की गई।
- ओवरबर्डन/टेलिंग्स/फ्लाई ऐश/रेड मड आदि से महत्वपूर्ण खनिजों की पुनर्प्राप्ति के लिए पायलट परियोजनाओं के वित्तपोषण हेतु दिनांक 14.11.2025 को दिशानिर्देश जारी किए गए।
- खान मंत्रालय के तत्वावधान में खनिज बिदेश इंडिया लिमिटेड (काबिल) ने अर्जेंटीना के कैटामार्का प्रांत के स्वामित्व वाले उद्यम कैमयेन के साथ अर्जेंटीना में 15703 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हुए पांच लिथियम ब्राइन ब्लॉकों की खोज और खनन के लिए एक गवेषण और विकास समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
